giving grant-in-aid to Non Governmental Organisations for implementation of specific schemes/programmes for the welfare and development of Scheduled Castes, Scheduled Trribes, Other Backward Classes, Minorities, Disabled, and for social Defence. Information regarding the names and addresses of Non-Governmental Organisations who have been given grants-in-aid during 1998-99 is being compiled and will be laid on the Table of the House.

(e) The utilisation of grants-in-aid given to the N.G.Os. is monitored by Government on a regular basis by obtaining Annual Audited Statement of Accounts, Utilisation Certificates, and other relevant information. In addition, inspection of the NGOs are also undetraken through State Government/U.T. Administrations and other designated authorities.

हिमाचल क्षेत्र—एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र

3044. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत का पूरा पहाड़ी क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे क्षेत्र को विशेषकर हिमाचल क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) देश के सभी पहाड़ी क्षेत्र आवश्यक नहीं कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हों।

(ख) केवल उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जाता है जिनमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बहुलता है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बहुलता वाले पहाड़ी क्षेत्रों की पहले ही आदिवासी क्षेत्रों के रूप में पहचान की जा चुकी है।

बिरहोर जनजाति का विकास

3045. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में बिरहोर आदिम जाति की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इनके विकास के लिए तीनों राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इस पर प्रतिवर्ष और मद-वार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) इस जनजाति की संख्या में वृद्धि और उनके लिए किए गए आर्थिक विकास की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

Tribal Welfare Schemes

3046. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state;

(a) the number of tribal welfare schemes presently going on it the country;

(b) since when these schemes are in operation together with the amounts allocated and spent so far;

(c) whether targeted results were achieved; and

(d) if not, the reasons therefor and the corrective steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) There are 14 Tribal Welfare Schemes for Welfare of Tribals. A Statement showing